खंड 4 अंक 9 दिसम्बर 2021

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

Chairman, CWC

संदेश

मार्च, 2022 दौरान, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया और 29.03.2022 को नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन-2022 की शुरुआत की। उन्होंने सभी से अभियान के इस संस्करण के केंद्रित हस्तक्षेप पर काम करने का आग्रह किया और स्थानीय आबादी को जल संरक्षण कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने में जिलाधिकारियों और ग्राम सरपंचों की भूमिका पर जोर दिया।

22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पानी की एक-एक बूंद बचाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने उन सभी व्यक्तियों और संगठनों की भी सराहना की जो पानी बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। के.ज.आ. ने मुख्यालय और फील्ड इकाइयों में जागरूकता अभियान और गतिविधियों का आयोजन करके भी विश्व जल दिवस मनाया।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत, वर्ष 2016 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को शामिल किया गया था। इनमें से कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं अग्रिम चरणों में हैं। इसके अलावा, 2021-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के अनुमोदन के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत अतिरिक्त परियोजनाओं को शामिल करने के लिए अधिदिष्ट किया गया है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के लिए संशोधित दिशानिर्देश फरवरी-2022 में जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 09.03.2022 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में पाँच अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत वित्त पोषण की सिफारिश की है। के.ज.आ. द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन परियोजनाओं का विवरण तैयार किया गया। इन परियोजनाओं के लिए कुल कृष्य कमान क्षेत्र लगभग 2.42 लाख हेक्टेयर है।

इसी तरह, पिछले सात वर्षों में, राज्यों से केंद्रीय वित्त पोषण के लिए तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) में शामिल करने की नियमित मांग की जा रही थी। इस संबंध में, प्रस्तावों पर विचार के लिए 04.03.2022 को सचिव (ज.सं,न.वि.एवं गं.सं.वि.) की अध्यक्षता में 2021-2026 की अवधि के लिए एफएमबीएपी पर अंतर-मंत्रालयीन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में समिति द्वारा एफएमबीएपी के तहत शामिल करने के लिए पांच परियोजनाओं की सिफारिश की गई। सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर 07.03.2022 को ज.सं,न.वि.एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 149वीं बैठक में "चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के बाएं किनारे पर कटाव संरक्षण और दाएँ किनारे पर घाट निर्माण कार्य" को इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए स्वीकार किया गया था।

मैं आशा करता हूँ कि हमारे पाठक इस समाचार पत्रिका की सामग्री को दिलचस्प पाएंगे और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करेंगे।

विषय सूची

- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक
- सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना पर ज.सं, न.वि. एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 149वीं बैठक
- बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (आईएमसी-एफएमपी) पर अंतर-मंत्रालयीन समिति की बैठक)
- पोलावरम सिंचाई परियोजना के तहत कार्यों की समीक्षा के लिए हुई विभिन्न बैठकें
- भारत में सिंचाई परियोजना के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक
- किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए अंतर्राज्यीय समझौते से संबंधित बैठक
- रेणुकाजी बांध परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बैठक
- तकनीकी सत्र II-विषय-ई-नीति और शासन,रुड़की जल सम्मेलन- 2022
- दुबई में "वर्ल्ड एक्सपो-2020"
- कांग्रेस/सम्मेलनों पर समिति की 33वीं बैठक (सी-कांग्रेस)
- 25वीं कांग्रेस और 75वीं आईईसी के आयोजन की तैयारी संबंधी गतिविधियां
- संसद टीवी में पैनलिस्ट -विश्व जल दिवस पर 22-03-2022 को-मुद्दा आपका कार्यक्रम
- सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसीएसडब्ल्यू) की 9वीं बैठक
- विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थिति
- इतिहास- तमिलनाडु में युगों से सिंचाई

रुड़की जल सम्मेलन (आरडब्ल्यूसी) 2022 के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा मुख्य भाषण

द्वि-वार्षिक रुड़की जल सम्मेलन (आरडब्ल्यूसी) 02-04 मार्च, 2022 "सतत विकास के लिए जल सुरक्षा" विषय पर आयोजित किया गया था। इसका आयोजन आईआईटी, रुड़की और एनआईएच, रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कार्यक्रम के दौरान, के.ज.आ. के अध्यक्ष और पदेन सचिव, भारत सरकार डॉ आर के गुप्ता ने वर्चुअल मोड के माध्यम से मुख्य भाषण दिया।

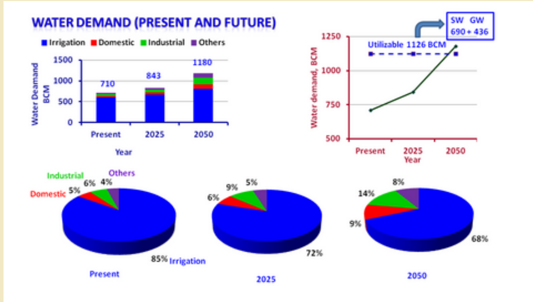

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत एमएमआई परियोजनाओं और परियोजनाओं के ईआरएम कार्यों को शामिल करने के लिए "स्क्रीनिंग समिति" की पहली बैठक 01.03.2022 को नई दिल्ली में सचिव, ज.सं,न.वि.एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में, 2021-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की प्रमुख विशेषताओं और पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं को शामिल करने के लिए आगे के कार्यों पर चर्चा की गई। ज.सं,न.वि.एवं गं.सं.वि. की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 09.03.2022 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत वित्तीय सहायता के लिए पाँच परियोजनाओं की सिफारिश की गई, जिनका विवरण निम्न है।

क्रमांक	परियोजना का नाम	सीसीए (हेक्टेयर)	नियोजित तारीख	लाभान्वित जिले
1	परवन प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, राजस्थान	2.01 लाख	दिसंबर 2023	कोटा, बारां, झालावाडी
2	सुक्ला सिंचाई परियोजना, असम का ईआरएम	12150	मार्च 2024	बक्सा
3	तमीरापारानी, कुरुमेनियार और नांबियार नदियों को आपस में जोड़कर कन्नाडियन चैनल से सथानकुलम, थिसियानविलाई के सूखा प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ वाहक नहर का निर्माण	सीसीए: 23040 यूआईपी: 23040	सितंबर 2022	तिरुनेलवेली और थूथुकुडी
4.	गुरुवर्य स्वर्गीय लक्ष्मणरावजी इनामदार लिफ्ट सिंचाई योजना (जिहे कथापुर लिफ्ट सिंचाई योजना)	सीसीए:35540 यूआईपी: 27500	जून 2025	सातारा
5.	नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना	सीसीए: 2980 यूआईपी: 6471	मार्च 2023	हमीरपुर

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना पर ज.सं, न.वि. एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 149वीं बैठक

सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए 07.03.2022 को सचिव, ज.सं, न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज.सं, न.वि. एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 149 वीं बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा के.ज.आ., सीजीडब्ल्यूबी, एमओटीए, एमओईएफ और सीसी, सीईए, नीति आयोग, एमओएफ आदि ने भाग लिया। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बैठक में सलाहकार समिति द्वारा एक परियोजना, स्वीकार की गई।

परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना प्रकार	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	इच्छित लाभ
चित्रकूट जिला-सतना मध्य प्रदेश में मंदाकिनी नदी के दाहिने किनारे पर कटाव संरक्षण कार्य और बाएं किनारे पर घाट निर्माण कार्य	मध्य प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	30.09 (पीएल:अप्रैल,2021)	लाभान्वित जनसंख्या- 3650 लाभान्वित क्षेत्र- 181.5 हेक्टेयर बीसी अनुपात- 1.11

बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (आईएमसी-एफएमपी) पर अंतर-मंत्रालयीन समिति की बैठक

सचिव (ज.सं,न.वि. एवं गं.सं.वि.) की अध्यक्षता में 2021-2026 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन के प्रस्तावों पर विचार हेतु 04.03.2022 को बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एमसी-एफएमबीएपी) पर अंतर-मंत्रालयीन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में, समिति द्वारा एफएमबीएपी के तहत शामिल करने के लिए पांच परियोजनाओं की सिफारिश की गई। इन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	एफएमपी* लागत (करोड़ रुपये में)
1	झेलम और सहायक नदियों पर व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्य-चरण-II-भाग-क (जम्मू&कश्मीर)	1623.43	1601.93
2	एई नदी (असम) के कटाव से गांव डोमगांव, दबाबील, छोटनीलीबाड़ी, देबरगांव, डांगईगांव, बीरेनगांव, भेरभेरी, रोवमारी, खगराबाड़ी, सन्याशीबाड़ी, उत्तर पोपरागांव और पोपरागांव की सुरक्षा	125.21	115.945
3	मणिपुर नदी बेसिन (मणिपुर) में नदियों के किनारे महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी कार्य	460.42	460.42
4	रिवेटमेंट (बिहार) के साथ बाएं भुटाही बालन तटबंध का 25.00 किमी से 31.610 किमी तक (घोघरडीहा से परसा हॉल्ट के पास निर्मली रेलवे लाइन तक) का विस्तार	48.44	45.13
5	मंडी जिला (हि.प्र.) तहसील सरकाघाट में कांडा पट्टन (ब्यास नदी) साकरैन, मालथोड, थोथू और समौर खड्ड के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रदान करना	145.73	141.118

*बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (*Flood Management Program)

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का संशोधित लागत अनुमान

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में डब्ल्यूआरडी, बिहार सरकार डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार, के.ज.आ.,जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और वैप्कोस के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25.03.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों की लागत के 7वें आरसीई में आवश्यक संशोधन/अद्यतन के संबंध में कार्ययोजना सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ(मुख्यालय),बिहार और झारखंड राज्य सरकारों और वाप्कोस के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

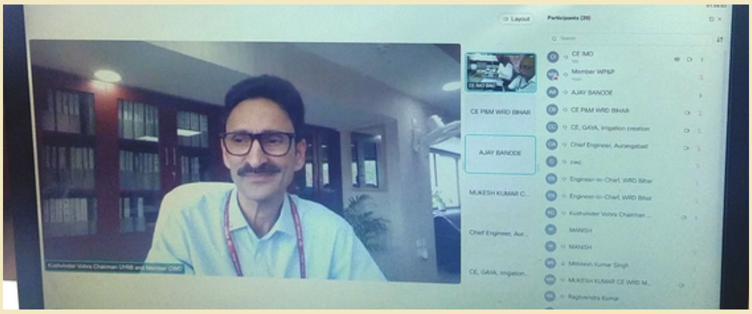

वाप्कोस ने बताया कि वाप्कोस के अधिकारियों ने 28-02-2022 से 05-03-2022 के दौरान डब्ल्यूआरडी, बिहार और झारखंड सरकार के अधिकारियों के साथ उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में अद्यतन 7वें आरसीई में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त संरचनाओं की पहचान और संख्या को अंतिम रूप देने के लिए परियोजना का दौरा किया। तदनुसार, परियोजना के 7वें आरसीई को बिहार और झारखंड में 2021 के मौजूदा एसओआर के आधार पर अद्यतन किया गया है। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार 'इस्पात और सीमेंट' के लिए मूल्य वृद्धि के संबंध में परियोजना का अद्यतन 7वां आरसीई आगे अद्यतन किया जा रहा है। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के परामर्श से इसे अंतिम रूप देने के बाद इसे जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की स्वीकृति के लिए के.ज.आ. के लागत मूल्यांकन निदेशालय, को अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

इस संबंध में विस्तृत चर्चा के बाद, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ.ने निर्देश दिया कि 7वें आरसीई को वर्तमान दरों की अनुसूची के आधार पर अद्यतन किया जाए और जहां तक संभव हो, अनुमोदित 7वें आरसीई के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए। किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को शामिल करना, यदि आवश्यक हो तो उचित औचित्य के साथ न्यूनतम रखा जाए। समेकित अद्यतन 7वीं आरसीई को के.ज.आ.में अवलोकन के लिए जमा करने और बाद में जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के टीएसी से अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया को सख्त समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

भारत में बांध सुरक्षा के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे पर वेबिनार

श्री जे.चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डीएंडआर) ने 09.03.2022 को 'भारत में बांध सुरक्षा के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे पर वेबिनार' के दौरान उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और बांध सुरक्षा में के.ज.आ. की भूमिका तथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की संरचना के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने 11.03.2022 को वेबिनार के दौरान अपनी सत्र समापन टिप्पणी भी दी।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के तहत कार्यों की समीक्षा के लिए हुई विभिन्न बैठकें

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार द्वारा 04.03.2022 को पोलावरम बांध स्थल पर एक बैठक की गई, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय,पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, आंध्र-प्रदेश सरकार, के.ज.आ.,,सीएसएमआरएस, वैपकोस, सीडब्ल्यूपीआरएस और परियोजना के डिजाइन और निष्पादन में शामिल सभी एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। माननीय मंत्री ने पूर्वी गोदावरी जिले में इंदुकुरु-1 आर एंड आर कॉलोनी और पश्चिम गोदावरी जिले में तदुवई आर एंड आर कॉलोनी का दौरा किया और परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) के साथ बातचीत की तथा आर एंड आर कॉलोनी की सुविधाओं, अधिकारों आदि के बारे में जानकारी ली। श्री जे चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ., जो सीईओ, पीपीए का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, ने परियोजना की स्थिति और मुद्दों पर एक प्रस्तुति दी।

समीक्षा बैठक के दौरान माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार डब्ल्यूआरडी, पीपीए, एमओजेएस, सीडब्ल्यूसी, डीडीआरपी, सीएसएमआरएस, वैपकोस, कार्यकारी एजेंसी और अन्य सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाएँगे जो कॉफ़र बांध के अनुप्रवाह में नदी कटाव और ईसीआरएफ बांध के दो गैप से संबंधित लंबित डिजाइन मुद्दों का शीघ्रता से पता लगाएंगे। तदनुसार, एमओजेएस के सलाहकार ने डिजाइन मुद्दों को हल करने के लिए 10.03.2022 को बैठक बुलाई।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार ने पोलावरम सिंचाई परियोजना के महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करने के लिए 16.03.2022 को नई दिल्ली में एक अन्य बैठक की अध्यक्षता की। जल शक्ति मंत्री के सलाहकार ने नदी कटाव क्षेत्र में अनुप्रवाह कॉफ़र बांध, ईसीआरएफ बांध (गैप- I और गैप- II में) के डिजाइन और निर्माण तथा दाहिने किनारे की ढलान की स्थिरता तथा उसके निर्णय के संबंध में

डब्ल्यूआरडी, एपी द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में सभी हितधारकों के साथ बैठक में विचार-विमर्श किया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 04.03.2022 को माननीय मंत्री के पोलावरम परियोजना के दौरे के दौरान समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी।

ज.सं,न.वि.एवं गं.सं.वि. ने के.ज.आ. से पोलावरम परियोजना की शेष लागत और +41.15 मीटर स्तर पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुमानित लाभ पर टिप्पण के लिए अनुरोध किया था, इसके अनुसरण में श्री कुश्विंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी),के.ज.आ. एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की जांच के लिए के.ज.आ.(मुख्यालय) के अधिकारियों के साथ 27.01.2022, 31.01.2022, 21.02.2022 और 14.03.2022 को चार आंतरिक बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त के अलावा, 22.02.2022 और 05.04.2022 को सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में पीपीए, आंध्र प्रदेश सरकार और के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ +41.15 मीटर के स्तर पर आंशिक लाभ और शेष लागत के आकलन पर प्रगति की समीक्षा के लिए दो बैठकें भी आयोजित की गईं।

उपरोक्त बैठकों और पत्राचारों के आधार पर, शेष लागत और +41.15 मीटर स्तर पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुमानित लाभ की जांच के.ज.आ. में अंतिम चरण में हैं।

भारत में सिंचाई परियोजना के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक

श्री कुश्विंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी),के.ज.आ. एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के कक्ष में 08.10.2021 को आयोजित एक बैठक जिसमें श्री ए बी पंड्या, महासचिव आईसीआईडी (पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ.) ने भाग लिया था, मे यह निर्णय लिया गया था कि भारत में भी सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जाए।

यह नोट किया गया कि पूर्व मे, दसवीं योजना तक, परियोजना निगरानी संगठन में वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का एक संग्रह परियोजना योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया था । इसके अतिरिक्त, यूआईपी, आईपीसी और आईपीयू के पुनर्मूल्यांकन के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रारूप को सिंचाई परियोजना के राष्ट्रीय रजिस्टर हेतु डेटा संग्रह करने के लिए संशोधित किया गया और सूचना अद्यतन हेतु फील्ड मुख्य अभियंताओं को प्रेषित किया गया। संशोधित प्रारूप को एआईबीपी और राष्ट्रीय परियोजनाओं के संशोधित दिशानिर्देशों में भी शामिल किया गया। दिशा-निर्देशों में किए गए प्रावधान के अनुसार, सभी राज्यों को वर्ष में कम से कम एक बार उपर्युक्त प्रोफार्मा में राज्य की वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इस संदर्भ में, अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के लिए डेटा संग्रह की प्रगति की समीक्षा हेतु सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी) ने 02.03.2022 को कें. ज.आ. के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सदस्य ने जोर दिया कि ये कें.ज.आ की मुख्य गतिविधियां हैं और स्थानीय इकाइयों द्वारा यह डेटा एकत्र किया जाना चाहिए साथ ही इसे सत्यापित करने के पश्चात केंजआ, मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाए। अब तक 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिसकी जांच की जा रही है।

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए अंतर्राज्यीय समझौते से संबंधित बैठक

किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना में उत्तराखंड के देहरादून जिले में टोंस नदी पर 236 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिसकी 1324 एमसीएम की सजीव भंडारण क्षमता होगी। इसके परिकल्पित लाभ हैं-पेयजल आपूर्ति (0.5MAF), सिंचाई में उपयोग और 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) द्वारा ली जा रही है।

परियोजना को भारत सरकार द्वारा फरवरी 2008 में अनुमोदित राष्ट्रीय परियोजना योजना में शामिल किया गया है। योजना को ग्यारहवीं योजना के दौरान शुरू किया गया था ताकि पहचान किए गए राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करने में तेजी लाई जा सके। । राष्ट्रीय परियोजनाओं को सिंचाई की लागत और पीने के घटक के लिए केंद्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

श्री पंकज कुमार, सचिव, ज.सं,न.वि.एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 22.03.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। । बैठक में ज.सं,न.वि.एवं गं.सं.वि., के.ज.आ., हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान, यूवाईआरबी ने सुझाव दिया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा निर्दिष्ट स्तरों से परे, बिजली घटक की लागत वहन करने के लिए एक या अधिक लाभार्थी राज्य आगे आ सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अन्य सभी लाभार्थी राज्य हाथ

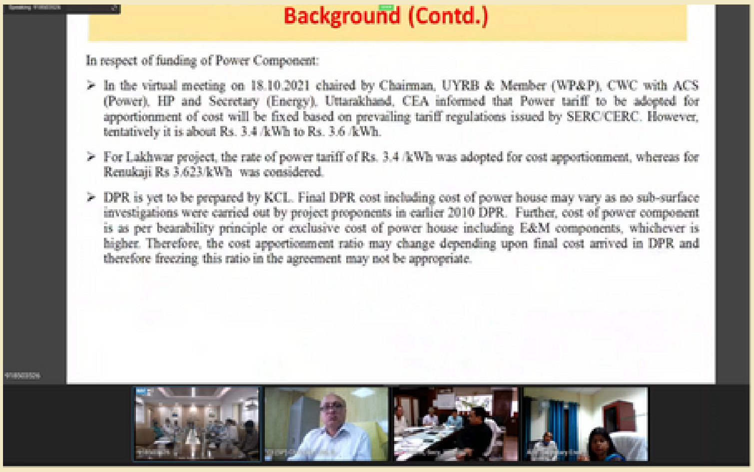

मिला सकते हैं और परियोजना के बिजली घटक का 90% वित्तपोषित कर सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, डब्ल्यूआरडी, हरियाणा सरकार ने राय दी कि दोनों ही मामलों में आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक कोबेसिन राज्य को अपने वहाँ किए जाने वाले दायित्व पर काम करने की जरूरत है।

इसके अलावा, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जैसे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच हिस्सेदारी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा अपनी पसंद के स्थान से यमुना का पानी निकालना। यह राय दी गई कि ऐसे मुद्दों को यूवाईआरबी स्तर पर अलग से उठाया जा सकता है।

चूंकि बैठक में सभी पार्टी राज्य मौजूद नहीं थे, इसलिए बैठक के अध्यक्ष ने जल्द ही इस संबंध में एक अलग बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।

रेणुकाजी बांध परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बैठक

रेणुकाजी बांध परियोजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए यमुना नदी की सहायक नदी गिरि पर भंडारण योजना के रूप में शुरू किया गया है। परियोजना में वर्तमान जेटों बैराज के लगभग 5 किमी प्रतिप्रवाह और हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में गिरि नदी के साथ जोगर-का-खाला के संगम के लगभग 375 मीटर अनुप्रवाह पर 148 मीटर ऊंचे रॉकफिल बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। बांध के तल पर प्रस्तावित बिजली घर में 40 मेगावाट (2x20 मेगावाट) बिजली का उत्पादन करने के लिए उपलब्ध शीर्ष का उपयोग करने का भी प्रस्ताव है।

परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय परियोजना योजना में फरवरी 2008 शामिल किया गया है। योजना को ग्यारहवीं योजना के दौरान शुरू किया गया था ताकि पहचान किए गए राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करने में तेजी लाई जा सके। राष्ट्रीय परियोजनाओं को सिंचाई और पीने के घटक की लागत के लिए केंद्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

श्री पंकज कुमार, सचिव, ज.सं,न.वि.एवं गं.सं.वि, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 22.03.2022 को रेणुकाजी बांध (राष्ट्रीय) परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में ज.सं,न.वि.एवं गं.सं.वि., के.ज.आ., हरियाणा, उत्तराखंड और

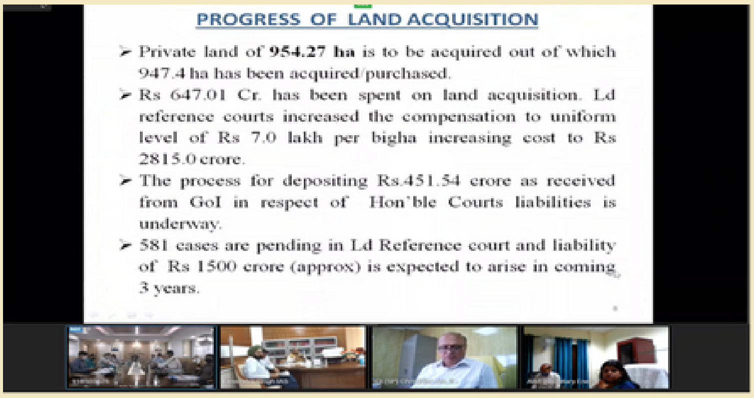

हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मुद्दों में तेजी लाने के लिए एचपीपीसीएल को अंतरराष्ट्रीय सलाहकार या वैपकोस से संबद्ध सीडब्ल्यूसी को नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। एचपीपीसीएल को सुझाव दिया गया की आगे ब्याज का संचय और देयता से बचने के लिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर लंबित अदालती मामलों के समाधान में तेजी लाए ताकि परियोजना कार्यान्वयन शीघ्र किया जा सके । बैठक के दौरान परियोजना प्राधिकरण को सुझाव दिया गया कि पूर्व-निर्माण गतिविधियों, बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ निविदा दस्तावेज तैयार करना आदि कार्यों पर तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

वृहत और मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई विकास पर रिपोर्ट तैयार करने की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक

क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यों की समीक्षा के लिए अक्टूबर 2021 के दौरान श्री कुश्विंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी),के.ज.आ. एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार द्वारा एक बैठक ली गई थी । बैठक में, सदस्य (डब्लूपी एंड पी) ने जोर दिया कि पूर्व मे प्रत्येक राज्य द्वारा वार्षिक आधार पर तैयार की जाने वाली "वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई विकास" रिपोर्ट, राज्य के जल संसाधन क्षेत्र के विकास की स्थिति को समझने और जिन क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है यह जानने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है और यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य द्वारा वार्षिक आधार पर तैयारी कि जानी चाहिए।
सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने इच्छा व्यक्त की कि सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय ऐसी रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दें जिसे वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाए। तद्नुसार, क्षेत्र के मुख्य अभियंताओं को इस अनुरोध के साथ पत्र जारी किए गए कि के.ज.आ. के प्रत्येक क्षेत्र संगठन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों के संबंध में प्रत्येक क्षेत्रीय संगठन द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से वार्षिक आधार पर राज्यवार रिपोर्ट तैयार की जाए।
वृहत और मध्यम परियोजनाएं से सिंचाई विकास पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु डेटा संग्रह की प्रगति की समीक्षा के लिए, सदस्य (डब्लूपी एंड पी) द्वारा 02.03.2022 को केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के क्षेत्र के मुख्य अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्होंने इच्छा व्यक्त की, कि वर्ष 2020-21 तक की अवधि के लिए उक्त रिपोर्ट मार्च, 2022 तक तैयार कर के.ज.आ, मुख्यालय को भेजी जाए। प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई विकास पर रिपोर्ट अब तक 6 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना से प्राप्त हुई है।

तकनीकी सत्र II-विषय-ई-नीति और शासन,रुड़की जल सम्मेलन- 2022

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं),रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (रा.जवि.सं), रुड़की ने संयुक्त रूप से 02 से 04 मार्च, 2022 तक "सतत विकास के लिए जल सुरक्षा" पर रुड़की जल सम्मेलन-2022 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया।
श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ने 03.03.2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से "नीति और शासन" विषय पर एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। सदस्य (डब्लूपी एंड पी), के.ज.आ. ने तकनीकी सत्र की शुरुआत में जल क्षेत्र में नीति और शासन के मुद्दों के महत्व का उल्लेख किया और वक्ताओं को मौजूदा राष्ट्रीय जल नीति (एनडब्ल्यूपी) की मुख्य विशेषताओं और एनडब्ल्यूपी में परिकल्पित प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि देश में अधिकांश नदियाँ अंतर-राज्यीय हैं और जब भी राज्य इन नदियों के पानी के नियमन और विकास की योजना बनाते हैं तब कई अंतर-राज्यीय मतभेद और विवाद होते हैं। सभी प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों जैसे सिंचाई, घरेलू, औद्योगिक और पर्यावरण क्षेत्र में पानी के उपयोग में कई गुना वृद्धि के कारण अगले दशक में नीति निर्माताओं द्वारा शासन

संबंधी मुद्दों का सामना करना पड सकता है। इसके अलावा, उन्होंने भविष्य में पानी की मांगों को पूरा करने के लिए नीति और शासन में 3 आर यानी कम(रिड्यूस), पुन:उपयोग(रियूस) और पुनर्चक्रण(रिसाइकल) की भूमिका पर जोर दिया।
सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की टिप्पणियों के बाद, तकनीकी सत्र के वक्ताओं द्वारा जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जल प्रशासन, जल अर्थशास्त्र, अपशिष्ट जल गुणवत्ता सुधार तकनीक, जल क्षेत्र में ज़ेंडर मैनस्ट्रीमिंग, नदियों और अन्य का जल-रासायनिक मूल्यांकन जैसे विषयों को शामिल करते हुए प्रस्तुतियां दी गईं।

भूटान में मांगदेछु जलविद्युत परियोजना (एचईपी)की चौथी संशोधित लागत अनुमान/पूर्ण लागत पर पीआईबी की बैठकें

मंगदेछू जलविद्युत परियोजना (720 मेगावाट), भूटान की चौथी संशोधित लागत अनुमान/पूर्ण लागत पर 24.03.2022 को वित्त सचिव और सचिव(व्यय), भारत सरकार की अध्यक्षता में पीआईबी की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य अभियंता, डिजाइन (ईएंडएनई) यूनिट, निदेशक, एचसीडी (ईएंडएनई),निदेशालय और निदेशक लागत मूल्यांकन (एचडब्ल्यूएफ),निदेशालय ने भाग लिया। बैठक में के.ज.आ.द्वारा परियोजना की लागत और तकनीकी पहलुओं पर जानकारी प्रदान की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केंद्रीय जल आयोग-मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 147वीं बैठक दिनांक 17.03.2022 को आयोजित की गई। इस बैठक में सितंबर, 2021 और दिसंबर, 2021 के तिमाही आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।

आगे, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने सभी कार्यों को हिन्दी में करने तथा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करने को कहा। साथ ही केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा नीति एवं नियमों के अनुपालन तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में निरंतर हो रही वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया।

दुबई में "वर्ल्ड एक्सपो-2020"

जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में के.ज.आ. ने 20 से 26 मार्च 2022 तक दुबई में वर्ल्ड एक्सपो में प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। के.ज.आ. द्वारा सुझाए गए विषय थे:-राष्ट्रीय जल मिशन, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, भारत में जल संसाधन विकास, भारत में भूजल प्रबंधन, भारत में बांध सुरक्षा प्रबंधन, भारत में सिंचाई विकास की यात्रा, भारत में बाढ़ प्रबंधन, भारत में जल संसाधन क्षेत्र में तकनीकी विकास, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, वैपकोस, जल शक्ति मंत्रालय और सहभागी सिंचाई प्रबंधन। बाद में, मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, के.ज.आ.ने अध्यक्ष और सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ.के साथ चर्चा के बाद आईईसी अनुभाग को पीएमकेएसवाई योजना पर मौजूदा वृत्तचित्र के साथ विस्तृत सामग्री प्रदान की।

माननीय मंत्री जल शक्ति ने 23.03.2022 को दुबई में एक्सपो का दौरा किया। जल शक्ति मंत्रालय से अधिकारियों के एक दल ने भी एक्सपो में भाग लिया जिसमें श्री संजय अवस्थी, (जेएस-आरडी एंड पीपी), श्री गिरराज गोयल, निदेशक-आईईसी, श्री आरजे वर्मा, एसई, के.ज.आ., फरीदाबाद, श्री के.के राव, एडी, एनडब्ल्यूडीए, डॉ. भूषण लामसोगे, वैज्ञानिक-ई, सीजीडब्ल्यूबी, श्री अमित शुक्ला, निदेशक-डीडीडब्ल्यूएस और श्री करनजीत, डीडीडब्ल्यूएस शामिल थे। वर्ड एक्सपो दुबई में प्रदर्शित किए गए

स्थिर पोस्टर और वृत्तचित्र फिल्म के डिजिटल प्रदर्शन के अंतिम विषय नीचे दिए गए हैं:-

स्क्रीन-1: भूजल प्रबंधन
स्क्रीन-2: जल संरक्षण
स्क्रीन-3: भारत में बांधों की कहानी
स्क्रीन-5: स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)
स्क्रीन-6: स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण
स्क्रीन-7: जल जीवन मिशन
स्क्रीन- 8: राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)
स्क्रीन-9: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
स्क्रीन-10: वैपकोस
स्क्रीन-11: जल शक्ति मंत्रालय का अवलोकन
स्क्रीन-12: राष्ट्रीय जल पुरस्कार

ड्रिप

केरल के कुट्टियाडी बांध और करापुझा बांध के निर्माण स्थल का दौरा डब्ल्यूआरडी

डीआरआईपी चरण-II के तहत किए गए पुनर्वास गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए 25-26 मार्च 2022 के दौरान कुट्टियाडी बांध और करापुझा बांध का निर्माण पर्यवेक्षण और गुणवत्ता आश्वासन (सीएस एंड क्यूए)हेतू दौरा किया गया। निरीक्षण दौरा मुख्य अभियंता, डीएसओ के नेतृत्व में के.ज.आ. अधिकारियों, केरल डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और संबंधित ठेकेदार के प्रतिनिधियों के साथ किया गया था। के.ज.आ. टीम द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और परियोजना की विभिन्न बाधाओं पर संस्तुति दी गईं।

नर्मदा मुख्य नहर के राजस्थान भाग में कम निर्वहन के मुद्दे पर प्रगति एवं वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक

"नर्मदा मुख्य नहर के राजस्थान हिस्से में कम निर्वहन के विश्लेषण और समाधान" कार्य जो के.ज.आ. को सौंपा गया था उसकी प्रगति की लगातार समीक्षा सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठकों की एक श्रृंखला के माध्यम से की जा रही है। इस संबंध में प्रगति और स्थिति की समीक्षा के लिए चौथी बैठक 23.03.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री जे.चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ., एनसीए, सीडब्ल्यूपीआरएस और गुजरात तथा राजस्थान राज्य के अधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक में सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा तैयार किए गए गणितीय मॉडल पर चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि मॉडल के संतोषजनक अंशांकन के लिए, सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा और अधिक क्षेत्र अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है। के.ज.आ. और सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र माप के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। तत्पश्चात्, सीडब्ल्यूपीआरएस टीम ने 28.03.2022 से 01.04.2022 तक फील्ड डेटा अवलोकन किया। गुजरात और राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा क्षेत्र अवलोकन किए गए। एमटीबीओ, गांधीनगर, के.ज.आ और एनसीए के अधिकारियों ने भी इस कार्य में भाग लिया।

कांग्रेस/सम्मेलनों पर समिति की 33वीं बैठक (सी-कांग्रेस)

सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीआईडी) एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्थायी कृषि जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) आईसीआईडी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जो आईसीआईडी के मामलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। आईसीआईडी में विभिन्न राष्ट्रीय समितियाँ (एनसी) शामिल हैं जो अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी समिति (आईएनसीआईडी) भारत की आईसीआईडी की राष्ट्रीय समिति है।

आईसीआईडी त्रैवार्षिक आधार पर सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन करता है और प्रत्येक वर्ष आईईसी की बैठकें करता है। के.ज.आ., आईएनसीआईडी और आंध्र प्रदेश सरकार के तत्वावधान में 6 -13 नवंबर 2023 के दौरान तटीय शहर विजाग (एपी) में 75वें आईईसी के साथ 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी भारत करेगा।

सी-कांग्रेस आईसीआईडी की अतीत और आगामी घटनाओं पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस/सम्मेलनों पर आईसीआईडी की एक समिति है। सी-कांग्रेस में पिछले व आगामी कार्यक्रम आयोजन समितियों,आईसीआईडी के प्रतिनिधि और अन्य सदस्य शामिल हैं। अतीत में आयोजित व 2022 और 2023 में आयोजित होने वाले प्रस्तावित विभिन्न आईसीआईडी कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए 03.03.2022 को सी-कांग्रेस की एक बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सी-कांग्रेस की नई रचना, जिसमें भारत के चार प्रतिनिधि थे, समिति द्वारा स्वीकार की गई। सी-कांग्रेस के भारतीय प्रतिनिधियों में श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, श्री ऋषि श्रीवास्तव, निदेशक (के.ज.आ), श्री सुनील कुमार, निदेशक (के.ज.आ) और डॉ. के येला रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष और डीन, अंगरा विश्वविद्यालय, गुंटूर (एपी) शामिल हैं।

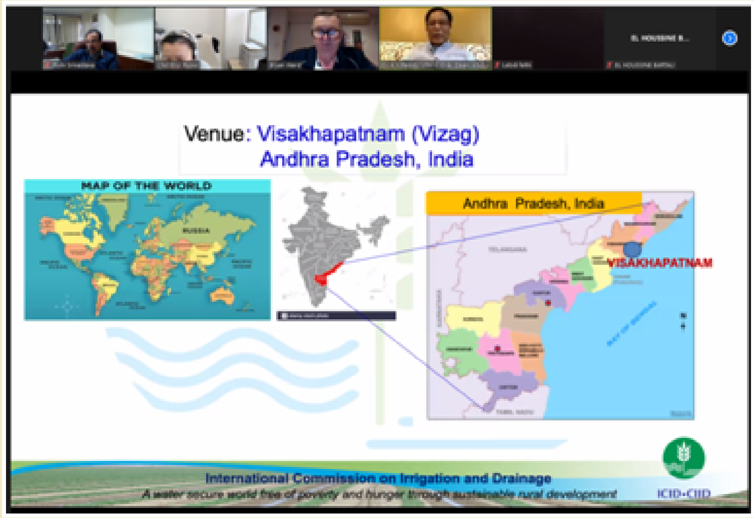

25वीं कांग्रेस और 75वीं आईईसी के आयोजन की तैयारी संबंधी गतिविधियां

भारत में सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीआईडी) की अंतराष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन पांच दशक से अधिक समय के बाद हो रहा है। नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश के विजाग में 25वीं कांग्रेस और 75वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) आयोजित करने की मंजूरी 72वीं आईईसी बैठक और 5वें अफ्रीकी क्षेत्रीय सम्मेलन, माराकेच, मोरक्को में 2021 में दी गई थी।

विजाग में कांग्रेस और अन्य कार्यक्रमों में दुनिया भर से लगभग 1200+ प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन के पैमाने और उच्चता के लिए विवरणों की बारीकी को ध्यान में रखते हुए मजबूत योजना की आवश्यकता होगी है।

इसे देखते हुए, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, आईएनसीआईडी सचिवालय से श्री ऋषि श्रीवास्तव, निदेशक, रिमोट सेंसिंग, के.ज.आ. और डॉ के. येला रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष आईसीआईडी ने केजीबीओ, के.ज.आ., एएनजीआरए विश्वविद्यालय (गुंटूर) और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर ने विभिन्न आयोजनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध सुविधाओं को देखने/मूल्यांकन करने और इसमें शामिल अन्य तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए 8-10 मार्च, 2022 के दौरान विजाग का दौरा किया। टीम ने विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा करने के लिए प्रो.पी.वी.जी.डी प्रसाद रेड्डी, कुलपति, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से भी मुलाकात की।

आयोजनों के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, टीम ने विभिन्न स्थानों/सुविधाओं का दौरा किया जिसमें होटल(नोवोटेल, रैडिसन ब्लू रिज़ॉर्ट, होटल ताज), आंध्र विश्वविद्यालय कन्वेंशन सेंटर, वीएमआरडीए चिल्ड्रन एरिना, विजाग कन्वेंशन सेंटर, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर, आईआईएम विजाग परिसर आदि शामिल हैं। यात्रा और उसके बाद की चर्चा के आधार पर, आईएनसीआईडी सचिवालय ने एक दौरा रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दौरा किए गए स्थानों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं पर प्रकाश डाला गया है और यात्रा का निष्कर्ष निकाला गया।

इसके अलावा, रसद, स्थानीय परिवहन, स्थल चयन और प्रबंधन, विभिन्न सत्रों के आयोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, की अध्यक्षता में आईएनसीआईडी सचिवालय द्वारा एक आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसमें के.ज.आ, एएनजीआरए विश्वविद्यालय, आईसीआईडी केंद्रीय कार्यालय और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सदस्य शामिल हैं ।

संसद टीवी में पैनलिस्ट -विश्व जल दिवस पर 22-03-2022 को -मुद्दा आपका कार्यक्रम

विश्व जल दिवस जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ने संसद टीवी के कार्यक्रम "मुद्दा आपका" में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। इस वर्ष विश्व जल दिवस का विषय -"भूजल: अदृश्य को दृश्यमान बनाना" था । कार्यक्रम में प्रो. ए.के. गोसाईं, आईआईटी-दिल्ली और श्री अंशुमन, सह निदेशक (टेरी-जल संसाधन) शामिल हुए।

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने बताया कि जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाना, जल सुरक्षा से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना विश्व जल दिवस मनाने का एक प्रमुख उद्देश्य है क्योंकि सार्वजनिक भागीदारी जल सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने विश्व जल दिवस के बारे में एक दिलचस्प तथ्य साझा किया कि हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में विश्व जल दिवस मनाना शुरू किया, लेकिन केंद्रीय जल आयोग में जल संसाधन दिवस बहुत पहले मनाया जाता है।

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने आगे बताया कि आंकड़ों के अनुसार, कुल वार्षिक निष्कर्षण के लिए उपलब्ध पुन:पूर्ति योग्य भू-जल का औसतन लगभग 60% उपयोग भारत में किया जाता है। आंकड़े चिंता का विषय हैं और अगर निकासी 70% से अधिक हो जाती है तोस्थिति चिंताजनक होगी। भू-जल लवणता, भू-जल का आर्सेनिक, फ्लोराइड और भारी धातुओं से संदूषण के मुद्दों को चिन्हित किया गया।

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने आगे बताया कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में विभिन्न कारकों के कारण भू-जल की निकासी वार्षिक पुन:पूर्ति योग्य भू-जल से अधिक है। उन्होंने कहा कि मांग पक्ष के प्रबंधन और जल उपयोगकर्ताओं के व्यवहार में बदलाव समय की मांग है। इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए जैसे कि CGWB के राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM), अटल भू-जल योजना जो माननीय प्रधान मंत्री के प्रयास से 2020 में शुरू की गई । साथ ही जल बजट और अन्य पर आधारित सही फसल योजना का भी विस्तार से वर्णन किया गया।

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) के लक्ष्यों की प्राप्ति के तहत किए गए कार्यों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जेजेएम के तहत 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराया जाना है और अब तक, जेजेएम शुरू किए जाने के बाद से 6 करोड़ से अधिक अतिरिक्त नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जेजेएम एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्रोत स्थिरता भी शामिल है जिसके अंतर्गत्म अन्य कार्यों के साथ-साथ भू-जल स्रोतों की पुन:पूर्ति भी की जाती है।

जल उपयोग दक्षता बढ़ाने की दिशा में उन्होंने बताया कि पीएमकेएसवाई योजना के तहत जहां भी संभव हो भूमिगत जल पाइपलाइनों का उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक तकनीक जैसे स्काडा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पीएमकेएसवाई योजना के तहत पूरी हुई 46 परियोजनाओं से 22 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित हुई। नर्मदा नहर परियोजना में 1.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लिए जाने की परिकल्पना की गई थी लेकिन सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करके सिंचाई क्षेत्र को 2.46 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया गया।

सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसीएसडब्ल्यू) की 9वीं बैठक

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में 28 अनुसंधान एवं विकास योजनाओं की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा करने और "भारत में पूर्ण सिंचाई क्षमता प्राप्त करने की दिशा में" आमंत्रित शोध विषय पर एक नोट पर विचार करने के लिए एक कार्यसूची के साथ आईएनसीएसडब्ल्यू की 9वीं बैठक 25.03.2022 को आयोजित की गई थी।

समिति के समक्ष 28 अनुसंधान एवं विकास योजनाओं का विवरण रखा गया। मुख्य अभियंता (ईएमओ), के.ज.आ. और अनुसंधान योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व में गठित कार्यकारी समूह के अध्यक्ष ने अवगत कराया कि इन सभी अध्ययनों को उद्देश्यों और परिणामों के संदर्भ में जांचा गया है और क्रम में पाया गया है। समिति ने सभी 28 अनुसंधान योजनाओं की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने की सिफारिश की और संस्थागत ओवरहेड और अन्य शेष भुगतान, यदि कोई हो, को जारी करने की सिफारिश की।

इसके अलावा, समिति ने "भारत में पूर्ण सिंचाई क्षमता प्राप्त करने की दिशा में" नोट पर चर्चा की। सदस्य (डीएंडआर),के.ज.आ.ने सुझाव दिया कि चूंकि सिंचाई क्षेत्र पानी के एक बड़े हिस्से की खपत करता है, इसलिए सिंचाई में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए अनुसंधान आवश्यकताओं पर जोर दिया जाना चाहिए। वार्षिक अनुसंधान एवं विकास सत्र को फिर से शुरू करने पर जोर दिया गया, जिससे सभी चल रहे अध्ययनों की प्रगति की समीक्षा की जा सके और नए अनुसंधान एवं विकास अध्ययनों के लिए विषयों की पहचान की जा सके।

अध्यक्ष, के.ज.आ.ने सुझाव दिया कि के.ज.आ.के स्तर पर अनुसंधान आवश्यकताओं पर एक नोट तैयार किया जाए और आईएनसीएसडब्ल्यू के सभी सदस्यों से क्रिया-शोध पर बल देने के साथ जल क्षेत्र से संबंधित नए शोध विषयों की पहचान करने के लिए विषयों का सुझाव देने का अनुरोध किया, जिन पर प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास सत्र के दौरान विचार-विमर्श किया जा सके।

सात नदी घाटियों में अवसादन के परामर्शी अध्ययन पर प्रस्तुति

के.ज.आ. ने SECON प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में मैसर्स हास्कोनिंग डीएचवी कंसल्टिंग प्रा. लिमिटेड को राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत सात नदी घाटियों अर्थात्-i) रामगंगा, ii) बराक, iii) नर्मदा, iv) कावेरी, v) कुट्टियादिपुझा, vi) मंगलम, और vii) पीची में अवसादन दर और परिवहन के आकलन हेतू भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाओं का काम करने के लिए शामिल किया है। मैसर्स रॉयल हास्कोनिंग ने सात (7) नदी घाटियों में अवसादन दर और अवसादन परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग पर सदस्य(डीएंडआर) के कक्ष में 11.03.2022 को एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुतिकारण, सलाहकार संघ और टीमों (टीम-1और टीम-2) का परिचय देने, कार्यों का अवलोकन, उद्देश्यों, कार्य योजना और वितरणयोग्यता, सात बेसिन की मुख्य लाक्षणिक विशेषताएं, मॉडलिंग की पद्धति: जलग्रहण व नदी मॉडलिंग, और रूपात्मक अध्ययन तथा जलग्रहण मॉडलिंग से मॉडल परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित था। इंटीग्रेटेड डाटा मॉडल प्लेटफार्म पर भी चर्चा हुई।

इंद्रोका बांध और बस्तावा माता बांध परियोजना के लिए समिति की छठी बैठक

कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 23.03.2022 को सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में बस्तावा माता और इंद्रोका बांध परियोजनाओं, जोधपुर, राजस्थान के लिए समिति की छठी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूसी, सीएसएमआरएस और वैपकोस के अधिकारियों ने भाग लिया। परियोजनाओं की निर्माण योजना पर भी चर्चा की गई और वैपकोस को समय-सीमा तय करने और महत्वपूर्ण गतिविधियों को अलग करने की सलाह दी गई ताकि निर्धारित समय में परियोजना को पूरा किया जा सके।

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि सीएसएमआरएस और जीएसआई द्वारा भूवैज्ञानिक मूल्यांकन से प्राप्त सीमित मृदा परीक्षण के परिणाम के आधार पर बांध खंड के डिजाइन, आरेखण-जिसमें अभिपूरक–परदा एवं संघनन का विवरण शामिल हो और मृदा बांध खंड(अधिकतम) को अंतिम रूप दिया जाएगा और तदनुसार. इसे ठेकेदार को जारी किया जाएगा। सीएसएमआरएस से सभी परीक्षण परिणाम प्राप्त होने पर अंतिम रूप दिए गए आरेखण की समीक्षा की जाएगी। परियोजनाओं की निर्माण योजना पर भी चर्चा की गई और वैपकोस को समय-सीमा में काम करने और महत्वपूर्ण गतिविधियों को अलग की सलाह दी गई ताकि परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके।

विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थिति

केंद्र सरकार ने अब तक अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए नौ न्यायाधिकरणों की स्थापना की है।

क्र.सं.	न्यायाधिकरण का नाम	संबंधित राज्य	गठन की तिथि	वर्तमान स्थिति
1.	गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण	महाराष्ट्र, पूर्व आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश	10 अप्रैल, 1969	निर्णय जुलाई,1980 में दिया गया।
2.	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-I	महाराष्ट्र, पूर्व आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	10 अप्रैल, 1969	निर्णय मई, 1976 में दिया गया।
3.	नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण	राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र	6 अक्टूब, 1969	दिसंबर, 1979 में पुरस्कार दिया गया । निर्णय को प्रभावी करने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) का गठन किया गया।
4.	रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	2 अप्रैल, 1986	आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के तहत अप्रैल, 1987 में दी गई रिपोर्ट और निर्णय। पार्टी राज्यों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत न्यायाधिकरण से स्पष्टीकरण/व्याख्या मांगी गई मामला विचाराधीन है।
5.	कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी	2 जून, 1990	आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दिनांक 05.02.2007 को दी गई रिपोर्ट एवं निर्णय । सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 04.02.2013 के अनुसार, न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय दिनांक 05.02.2007 को आधिकारिक राजपत्र में 19.02.2013 को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.02.2018 के द्वारा न्यायाधिकरण निर्णय दिनांक 05.02.2007, को थोड़ा संशोधित किया। न्यायाधिकरण 16.07.2018 को भंग कर दिया गया है।
6.	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण -II	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र	2 अप्रैल, 2004 (गठन की प्रभावी तिथि 01.02.2006 है)	आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दिनांक 30.12.2010 को दी गई रिपोर्ट एवं निर्णय। अधिनियम की धारा 5(3) के तहत 29.11.2013 को न्यायाधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट दी गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.09.2011 के स्थगन के कारण आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जा सका। एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 के अनुसार, केडब्ल्यूडीटी-द्वितीय की अवधि कुछ शर्तों के साथ बढ़ा दी गई है। न्यायाधिकरण वर्तमान में मामलों की सुनवाई कर रहा है और अभी तक अपना अंतिम निर्णय प्रस्तुत नहीं किया है। मामला विचाराधीन है।
7.	वंसधारा जल विवाद न्यायाधिकरण	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	24 फरवरी, 2010 (गठन की प्रभावी तिथि 17.09.2012)	आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दिनांक 13.09.2017 को दी गई रिपोर्ट एवं निर्णय। अधिनियम की धारा 5(3) के तहत न्यायाधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट 21.06.2021 को दी गई। न्यायाधिकरण के दिनांक 21.06.2021 के निर्णय को अधिसूचित किया जाना बाकी है। निर्णय को प्रकाशित नहीं करने की मांग करते हुए ओडिशा सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर की है। न्यायाधिकरण को 09.03.2022 को भंग कर दिया गया है।
8.	महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	16 नवंबर, 2010 (गठन की प्रभावी तिथि 21.08.2013)	आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के तहत रिपोर्ट एवं निर्णय 14.08.2018को प्रस्तुत किए गए। बेसिन राज्यों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अलग से एसएलपी दायर की है। कर्नाटक राज्य ने 14.08.2018 के निर्णय को प्रकाशित करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक वार्ता आवेदन(I.A.) दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन अपने आदेश दिनांक 20.02.2020 के द्वारा उक्त आई.ए. की अनुमति दे दी। तदनुसार, न्यायाधिकरण निर्णय दिनांक 14.08.2018 को आधिकारिक राजपत्र में 27.02.2020 को प्रकाशित किया गया है। न्यायाधिकरण ने अभी तक अधिनियम की धारा 5(3) के तहत अपनी आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। मामला विचाराधीन है।
9.	महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण	छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	12 मार्च, 2018	मामला आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(2) के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

जलाशय निगरानी

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 140 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रही है। इन जलाशयों में से 45 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 140 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 175.957 बीसीएम है जो कि 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.25% है, जिसके देश में सृजित होने का अनुमान है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 31.03.2022 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 79.396 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 45% है। हालांकि, पिछले साल इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल लाइव स्टोरेज 74.183 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत लाइव स्टोरेज 62.054 बीसीएम था। इस प्रकार, बुलेटिन दिनांक 31.03.2022 के अनुसार 140 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 107% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 128% है।

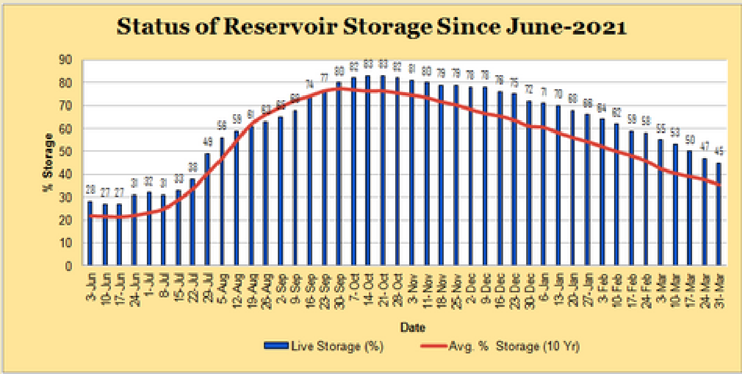

मार्च-2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2021-22	व्यय	व्यय (% में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	160.000	155.311	97.07%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	7.300	6.858	93.94%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	9.580	8.963	93.55%
4	बुनियादी ढांचा विकास (आईडी) योजनाएं	योजना को गैर-योजना निदेश एवं प्रशासन (डीएंडए) में स्थानांतरित कर दिया गया		
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	34.178	28.895	84.54%
6	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	25.00(बीइ)	23.00	92.00%

जल क्षेत्र-समाचार

- गंगा के गंदे पानी से कमाई, केंद्र ने बनाई उपचारित जल को बेचने की योजना (हरिभूमि, 20.03.2022)
- विरोध क्यों हो रहा है पार—तापी—नर्मदा नदी जोड़ परियोजना का (राजस्थान पत्रिका, 21.03.2022)
- आईजीआरएसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में 220 करोड़ लोगों को नसीब नहीं होता स्वच्छ पेयजल (हिन्दुस्तान, 22.03.2022)
- जल जीवन मिशन — अतिरिक्त छह करोड़ घरों को पानी का कनेक्शन (राष्ट्रीय सहारा, 23.03.2022)
- निर्मल होगी लूनी नदी, घटेगी विषैली गैस, धरा होगी हरी—भरी (राजस्थान पत्रिका, 24.03.2022)
- राजस्थान के हाल : 59 प्रतिशत कुओं में भूजल स्तर में गिरावट (राजस्थान पत्रिका, 26.03.2022)
- अंतरराज्यीय जल विवादों को हल करने की कोशिश — अप्रैल के पहले सप्ताह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे बोम्मई (राजस्थान पत्रिका, 28.03.2022)
- राष्ट्रपति कोविंद आज प्रदान करेंगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार (राष्ट्रीय सहारा, 29.03.2022)
- सरकार के जल संरक्षण अभियान का हिस्सा बनिए : कोविंद (राष्ट्रीय सहारा, 30.03.2022)
- केन्द्र से मिलेंगे परवन सिंचाई परियोजना को 734 करोड़ (राजस्थान पत्रिका, 31.03.2022)

गैलरी/आज़ादी का अमृत महोत्सव

माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय एमओजेएस WRD मंत्री, कर्नाटक सरकार और एमओजेएस/के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ 06.03.2022 को कर्नाटक में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर (एनएलबीसी) आधुनिकीकरण परियोजना में एक स्काडा केंद्र का निरीक्षण करेंगे।

पी एंड आई डिवीजन, के.ज.आ., फरीदाबाद के तहत श्री प्रदीप, एमटीएस ने 19 भाग लेने वाले विभागों के बीच 05-08 मार्च, 2022 तक चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है।

नए सीडब्ल्यूईएस ग्रुप ए अधिकारियों (ईएसई-2020) के लिए एनडब्ल्यूए में 28.03.22 को हाइब्रिड मोड में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम। श्री पंकज कुमार (आईएएस), सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) मुख्य अतिथि के रूप में और डॉ आर के गुप्ता, अध्यक्ष (के.ज.आ.) सम्मानित अतिथि के रूप में वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रशिक्षुओं को प्रेरित किया।

एमओजेएस, सीडब्ल्यूसी और डीओडब्ल्यूआर, ओडिशा की टीम के साथ माननीय राज्य मंत्री द्वारा मयूरभंज जिले, ओडिशा में RRR और SMI योजनाओं का दौरा (04-07 मार्च 2022)।

स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम-2022 के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में केजीबीओ द्वारा सरकारी हाई स्कूल, हैदराबाद में ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई।

श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, डिजाइन (ईएंडएनई) की अध्यक्षता में के.ज.आ. के अधिकारियों के एक समूह ने 20.03.2022 से 23.03.2022 तक गनोल जलविद्युत परियोजना का दौरा किया।

इतिहास- तमिलनाडु में युगों से सिंचाई

सिंचाई के लिए अग्रणी

तंजौर जिले की सिंचाई इंजीनियरिंग उतनी ही पुरानी है जितनी कृषि जो समृद्ध डेल्टाई भूमि में विकास के प्रमाण का रूप है। प्रारंभिक चोल शासकों ने सिंचाई के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में नाम कमाया है। कहा जाता है कि राजा करिकाला चोल ने कावेरी नदी पर काबू पा लिया था और बांधों और तटबंधों को उठाकर और कई नहरों को खोदकर बाढ़ को नियंत्रित किया था। कावेरी जल का दोहन करने का सबसे पहला प्रयास, ग्रैंड एनीकट का निर्माण उसके काल (लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी) को माना जाता है। उय्याकोंडन चैनल जो कावेरी से निकलता है, राजराजा चोल प्रथम (985-1013 ईस्वी) से संबंधित एक दिलचस्प प्राचीन कृति है। यह एक आदर्श कंटूर चैनल है जो लगभग 30,000 एकड़ में सिंचाई के पानी की आपूर्ति करता है। पांड्य राजाओं के दिनों में तिरुनेलवेली के दक्षिणी जिले में तांबरपर्णी नदी के पार बड़ी संख्या में पत्थर के एनीकट और चैनल बनाए गए थे।

ब्रिटिश शासन के दौरान विकास

अंग्रेजों के आगमन के बाद, उनका पहला प्रयास नई परियोजनाओं के निर्माण से पहले मौजूदा स्वदेशी कार्यों में सुधार करना था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तंजौर जिले में कावेरी डेल्टा प्रणाली थी। कावेरी नदी द्वारा लाई गई रेत को बाहर निकालने के

Source: File Photo

उद्देश्य से सबसे पहले ग्रैंड एनीकट का पुनर्निर्माण किया गया था। बाद में केवल इस विधि को अपर्याप्त पाया गया, इसलिए पानी को कावेरी में मोड़ने और रोकने के लिए कोलरून में ऊपरी एनीकट का निर्माण किया गया। कावेरी डेल्टा में आपूर्ति की सफल और बेहतर स्थितियों के कारण कोलरून पर लोअर एनीकट का निर्माण हुआ, जिसके एक तरफ वीरनम टैंक तक एक चैनल और दूसरी तरफ सिंचाई चैनल थे।

डायवर्सन कार्य

हर बार जब भीषण अकाल या भोजन की कमी हुई, इसने और अधिक सिंचाई योजनाओं को शुरू करने को प्रोत्साहन दिया। गोदावरी एनीकट, कृष्णा एनीकट, कुरनूल-कडप्पा नहर(जो सभी अब आंध्र प्रदेश में हैं) गंभीर अकाल के बाद किए गए कार्यों के उदाहरण हैं। सदी में अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्य कार्य हैं दक्षिण आर्कोट में शांतितोप एनीकट (1847), उत्तरी आर्कोट में पॉइनरी एनीकट (1853), चेयर एनीकट (1856), पलार एनीकट (1857), थिरुपथुर एनीकट (1864), श्रीवैकुंटम तिरुनेलवेली जिले में एनीकट(1868) और दक्षिण आरकोट में पेलैंडोरई एनीकट (1876)।

भंडारण कार्य

उपरोक्त सभी सीधी सिंचाई नहर कार्य उनकी आपूर्ति के लिए पूरी तरह से मूल नदियों में उपलब्ध प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर थे, जिनमें से अधिकांश वर्ष में 6 महीने से अधिक समय तक सूखी रहती थीं। इसलिए मिट्टी या पत्थर की चिनाई वाले बांधों के साथ उपयुक्त मेंडबंदी करके भंडारण जलाशयों का निर्माण कर भंडारण के प्रावधान पर विचार किया गया। कनिगिरी जलाशय, रसालकोंडा जलाशय, शारदा जलाशय, मोपाड जलाशय (अब सभी आंध्र प्रदेश में), सलेम जिले में बरूर टैंक, दक्षिण आरकोट में वेलिंगडन जलाशय और पेरियार जलाशय (त्रावणकोर-मदुरै) इस श्रेणी में आते हैं। अंतिम नाम, यानी पेरियार जलाशय, इसकी खास विशेषता है कि यह एक बड़ी नदी के प्रायद्वीप में मुड़ती है, जो सदियों से पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती थी।

आजादी के बाद

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ, सिंचाई विकास योजनाओं पर गतिविधियों की गति तेज हो गई और राज्य भर में छोटी और बड़ी दोनों तरह की कई परियोजनाएं शुरू की गईं। इस अवधि के दौरान शुरू की गई कुछ बड़ी परियोजनाएं निम्नलिखित हैं।

परियोजना	लागत (लाख रु.)	नई सिंचाई की सीमा (एकड़ में)
निचली भवानी परियोजना	996	2,07,000
मलमपुझा	380	40,000
मेट्टूर नहरें	267	45,000
मणिमुथारी	398	20,000 और मौजूदा सिंचाई के 83,000 एकड़ के लिए आपूर्ति को स्थिर करना

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आगमन के साथ, बड़े सिंचाई कार्यों के निष्पादन का एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया। इस योजना में उन योजनाओं के अतिरिक्त कई नई योजनाओं को शामिल किया गया जो योजना के प्रारूपण से पहले से ही क्रियान्वित की जा रही थीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

शानदार दक्षिण-पश्चिम मानसून द्वारा पोषित पश्चिमी घाट की ढलान पश्चिम की ओर बहने वाली विभिन्न छोटी नदियों को भरती है जो अरब सागर में मिलती है। बंजर और पानी की कमी वाले खेतों के बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ नदियों को पूर्वी हिस्से के मैदानी इलाकों में मोड़ने के प्रस्तावों की जांच की गई। ऐसी ही एक योजना थी परम्बिकुलम परियोजना जो 3.2 लाख एकड़ की सिंचाई करने में सक्षम थी। इसे दूसरी योजना में शामिल किया गया है। दूसरी योजना के लिए सुझाई गई छह योजनाएं निम्न हैं: -

	लागत (लाख रु.)	सिंचाई के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (एकड़ में)
कट्टालाई	156.65	20,622
पुलमबडी	142.43	22,114
मीनाकारई	49.56	4,100
विदुर	61.37	3,200
हलदी	188.00	10,000
परम्बिकुलम	3200.00	320,000

वर्तमान स्थिति

आंध्र के अलग होने के बाद तत्कालीन मद्रास राज्य का क्षेत्रफल 38.5 मिलियन एकड़ और 35.7 मिलियन लोगों की आबादी है। 1953-54 के दौरान, लगभग 16.3 मिलियन एकड़ में खेती की जा रही थी, जिसमें से 5.2 मिलियन एकड़ में सिंचाई की जा रही थी। तमिलनाडु राज्य ऐसा राज्य रहा है जिसने पूर्ववर्तियों की कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के कारण अपनी सिंचाई सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

तमिलनाडु में सिंचाई विकास के विस्तृत इतिहास के लिए निम्नलिखित लिंक से सिंचाई और जल निकासी पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसीआईडी) का संकलन देखा जा सकता है।

http://cwc.gov.in/sites/default/files/10-history-irrigation-development-tamilnadu.pdf

(स्रोत: भगीरथ और आईएनसीआईडी प्रकाशन)

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी & ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in